पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,

पंजीकृत कार्यालयः–विद्युत नगर, भिखारीपुर, पोस्ट–बी0एल0डब्ल्यू0, वाराणसी, उ0प्र0 (भारत)–221004
वेबसा ईटः–www.puvvnl.in ई–मेलः– md@puvvnl.in
CIN-U31200UP2003SGC027461
फोन नम्बर – 0542–2318437 फैक्स नम्बर – 0542–2319152

पत्रांक : 1176 / पू0वि0वि0नि0लि0 / मुख्या0 / ई–3 / स्थानान्तरण दिनांकः 18.06.2025

कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा मुख्य अभियन्ता (हाइडिल), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ द्वारा आवंटित निगम कार्यहित में निम्नांकित कार्मिकों को स्तम्भ–3 में उल्लिखित उनके वर्तमान तैनाती इकाई / कार्यालय से स्थानान्तरित कर स्तम्भ–4 में उल्लिखित इकाई में अग्रेतर तैनाती हेतु आवंटित किया जाता है :–

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम / पद नाम / गृह जनपद / सैप आई0डी0	वर्तमान तैनाती इकाई / कार्यालय	स्थानान्तरण के पश्चात् नव आवंटित इकाई / कार्यालय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	चन्द्रशेखर / अवर अभियन्ता / गोरखपुर / (SAP ID- 11001172)	कार्यालय प्रबन्ध निदेशक पू0वि0वि0नि0लि0, वाराणसी	मुख्य अभियन्ता (वितरण), गोरखपुर क्षेत्र–द्वितीय, गोरखपुर	प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत
2	अशोक कुमार सिंह / अवर अभियन्ता / गोरखपुर / (SAP ID- 17802974)	कार्यालय प्रबन्ध निदेशक पू0वि0वि0नि0लि0, वाराणसी	मुख्य अभियन्ता (वितरण), गोरखपुर क्षेत्र–द्वितीय, गोरखपुर	प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत
3	हरिओम प्रसाद / अवर अभियन्ता / गोरखपुर / (SAP ID- 17803698)	कार्यालय प्रबन्ध निदेशक पू0वि0वि0नि0लि0, वाराणसी	मुख्य अभियन्ता (वितरण), गोरखपुर क्षेत्र–द्वितीय, गोरखपुर	प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत

1– उपरोक्त स्थानान्तरण आदेश जनहित याचिका सं0 79 / 1997 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप है।

2– यदि वर्तमान तैनाती का कार्यालय अंकित कार्यालय से भिन्न है, उस दशा में का0ज्ञा0 में अंकित कार्यालय के स्थान पर वास्तविक वर्तमान तैनाती का कार्यालय प्रत्येक व्यवहारिक उद्देश्य के लिये मान्य होगा।

3– उपर्युक्त स्थानान्तरित कार्मिकों को तत्काल कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित किया जाये एवं उनके द्वारा नव तैनाती इकाई / कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाये।

4– प्रत्येक स्थानान्तरण आदेश पर यह उल्लेख किया जायेगा कि Joining/Relieving केवल ई0आर0पी0 प्रणाली पर ही किये जायेंगे।

5– कार्मिक को वर्तमान जनपद से अन्य जनपद में स्थानांतरित होने की स्थिति में कार्यमुक्त किये जाने की तिथि से अधिकतम दो महीने की अवधि समाप्ति होने से पहले अपने कब्जे वाले आवास को खाली करना अनिवार्य होगा।

6– विकट गर्मी के दृष्टिगत सुचारू विद्युत आपूर्ति बनाये रखने हेतु निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरित कार्मिक नवआवंटित क्षेत्र में तत्काल अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करें एवं इसके लिए उन्हें कोई भी ज्वाइंनिग टाइम अनुमन्य नहीं होगा।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक : 1176 / पू.वि.वि.नि.लि.(वा.) / ई–3 / स्थानान्तरण तद्दिनांकः 18.06.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य अभियन्ता (हाइडिल), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, 14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (वितरण), गोरखपुर क्षेत्र–द्वितीय, पू0वि0वि0नि0लि0, गोरखपुर।
3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, डिस्काम मुख्यालय, वाराणसी।
4. सम्बन्धित कार्मिकगण।
5. प्रबन्ध निदेशक, पू0वि0वि0नि0लि0, वाराणसी के शिविर सहायक।

(अजात शत्रु)
अधिशासी अभियन्ता (मुख्या0)
कृते प्रबन्ध निदेशक